संख्या-20/2020/462-ए/12-5-2020-सा0-01/2019

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।
2. समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक,
कृषि विभाग उत्तर प्रदेश ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 25 अप्रैल, 2020**

विषयः- पी0एम0 किसान योजना के अवशेष लाभार्थियों को योजना का लाभ अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा हुई है। उक्त घोषणा के अन्तर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को योजना अन्तर्गत देय धनराषि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानान्तरित की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 4100 करोड़ रूपये की धनराशि प्रेषित की जा चुकी है।

आप अवगत ही हैं कि अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे पात्र किसान हैं जिनके बैंक खातों में योजनान्तर्गत अनुमन्य धनराशि निम्न कारणों से स्थानान्तरित नहीं हो पा रही हैः-

1. उनका आधार नम्बर तो सही है परन्तु पंजीकरण के डाटा में उल्लिखित नाम आधार कार्ड में उल्लिखित नाम से मिसमैच होने के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है। अतः लाभार्थी के डाटाबेस में उल्लिखित नाम को आधार कार्ड में दिये गये नाम के अनुसार शुद्ध होना आवश्यक है।
2. कई किसानों के पंजीकरण में इनवैलिड आधार नम्बर फीड है और उन्हें आधार अथेंटीकेशन की अनिवार्यता से पूर्व योजना की कुछ किश्तें भी भुगतान हो चुकी हैं। माह दिसम्बर 2019 से आधार अथेंटीकेशन अनिवार्यता हो जाने के कारण अब उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। योजना का लाभ देने के लिये ऐसे किसानों का आधार नम्बर सही कराया जाना आवश्यक है।
3. ऐसे लाभार्थी जिनके बैंक खाते का विवरण सही न होने के कारण पी0एफ0एम0एस0 के द्वारा उनके डाटा को वापस भेज दिया गया है। ऐसे लाभार्थियों के बैंक खाते का विवरण सही कराया जाना है।
4. पीएम-किसान पोर्टल पर अनेक लाभार्थियों ने ओपेन सोर्स से आवेदन किया है, जिनका सत्यापन फील्ड में करते हुए लाभार्थियों का बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड की प्रतिलिपि व घोषणा-पत्र प्राप्त करते हुए यह सुनिश्चित किया जाना है कि वे योजना की गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं या अपात्र।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. किसानों की विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी समस्याओं के निराकरण करने एवं उन्हें सही सुझाव देने की प्रभावी व्यवस्था जनपद स्तर पर न होने के कारण किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे कई किसान योजना का लाभ पाने से वंचित और परेशान हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि अवशेष किसानों को योजना का लाभ यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के लिये कृपया निम्नलिखित कार्यवाहीं प्रभावी तरीके से करने का कष्ट करें:-

I. जिन लाभार्थियों का आधार के अनुसार पंजीकरण में नाम नहीं है अथवा आधार नम्बर इनवैलिड है या बैंक खाता सही नहीं है और उनका मोबाइल नम्बर उपलब्ध है तो ऐसे लाभार्थियों को फोन करते हुए अवगत करा दिया जाय कि उन्हें लाभ न मिलने का क्या कारण है, जिससे वह सुधार हेतु वैध अभिलेख उपलब्ध करा सकें। प्रत्येक कार्य दिवस में एक निश्चित संख्या में लाभार्थियों से मोबाइल पर वार्ता करते हुए उपरोक्त कार्यवाही की जाय।

II. जिन लाभार्थियों का मोबाइल नम्बर उपलब्ध नहीं है, उनका विवरण ग्रामवार राजस्व तथा कृषि विभाग के कर्मियों को उपलब्ध कराकर सत्यापन हेतु फील्ड में भेजा जाय। फील्ड से सही अभिलेख प्राप्त कर डाटा का सुधार करा लिया जाय।

III. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान के लिये जिला स्तर पर उप कृषि निदेशक के अधीन उनके नियमित व आउट सोर्स कर्मियों के माध्यम से कन्ट्रोल रूम स्थापित कर दिया जाय।

IV. लॉकडाउन के चलते लाभार्थियों का कार्यालय में आना यदि अभी सम्भव नहीं है तो निम्न प्रकार से भी वैध अभिलेखों की प्रतियों को प्राप्त किया जा सकता हैः-

(i) प्रदेश के समस्त कॉमन सर्विस सेन्टर चालू हो चुके हैं। अतः कृषक वहां जाकर आवश्यक अभिलेखों को उप कृषि निदेशक कार्यालय को ई-मेल कर सकते हैं।

(ii) आधार मिस मैच के प्रकरणों में लाभार्थी स्वयं कामन सर्विस सेन्टर पर जाकर pmkisan.gov.in portal के farmer corner लिंक से नाम अथवा इनवैलिड आधार को ठीक कर सकता है।

(iii) अगर उनके पास स्मार्ट फोन है तो वह व्हाट्सअप का इस्तेमाल करते हुए जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक अभिलेखों की प्रतिलिपि भेज सकते हैं।

(iv) स्थानीय कन्ट्रोल रूम/काल सेन्टर के दूरभाष नम्बर प्रेस में प्रकाशित कर दिये जायें जिससे कृषक स्वयं भी सम्पर्क कर डाटा ठीक करा सकें।

V. पीएम-किसान पोर्टल पर ओपेन सोर्स से नये पंजीकृत किसानों के डाटा का ग्रामवार प्रिन्ट आउट लेते हुए संबंधित राजस्व कर्मियों को देना होगा जिससे वह फील्ड में जाकर निम्नलिखित सूचना प्राप्त कर सकें:-

(i) आधार कार्ड की प्रतिलिपि जिससे की लाभार्थी द्वारा दिये गये आधार नम्बर से उसका मिलान हो सके।

(ii) बैंक पासबुक की प्रतिलिपि जिससे डाटाबेस में दिये गये खातों से उसका मिलान हो सके।

(iii) राजस्व अभिलेख, खतौनी इत्यादि जिससे कि व्यक्ति के किसान होने का प्रमाण हो सके।

(iv) लाभार्थी द्वारा स्व हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(v) उपरोक्त अभिलेख प्राप्त कर लेते ही यह निर्धारण हो जायेगा कि लाभार्थी पात्र है अथवा अपात्र। उस आधार पर पात्र लाभार्थी का डाटा अप्रूव कर अपलोड कराते हुए उसको योजना का लाभ दिलाया जाय।

पीएम-किसान पोर्टल पर ओपेन सोर्स से पंजीकृत नवीन लाभार्थियों का फील्ड सत्यापन दिनांक 03 मई, 2020 के बाद आरम्भ किया जाय, परन्तु आधार मिस मैच व पी0एफ0एम0एस0 से वापस किये गये लाभार्थियों के बैंक खाते के विवरण को ठीक करने की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से उपरोक्त रणनीति के अनुसार आरम्भ कर दी जाय।

कृषकों द्वारा डाटा स्वयं ठीक करने अथवा उनके अभिलेख प्राप्त कर कार्यालय द्वारा ठीक करने की स्थिति में लाभार्थी के पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में योजना की गाइडलाइन के अनुसार कार्यवाही करते हुए लम्बित प्रकरणों को निस्तारित कर दिया जाय। जिससे इस त्रैमास में बचे हुए समस्त लाभार्थियों की पात्रता का निर्धारण करते हुए पात्र लाभार्थी को योजना का लाभ मिलना आरम्भ हो जाय। साथ ही जिन अभिलेखों के आधार पर लाभार्थियों को योजना का लाभ अनुमन्य कराया जा रहा है ऐसे सभी लाभार्थियों के अभिलेखों को तहसील के अभिलेखागार में पूर्व निर्देश के अनुसार सुरक्षित रखते हुये डिजिटाइज्ड कराया जाय।

इस संबंध में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को शासन के पत्र संख्या-19/2020/462/12-5-2020-सा0-01/2019, दिनांक 24-04-2020 द्वारा पृथक से निर्देश दिये जा चुके हैं ।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये योजना के अवशेष लाभार्थियों को योजना का लाभ अनुमन्य कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या-20/2020/462ए(1)/12-5-2020-सा0-01/2019, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।